लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 48 विभाग की 696 सेवाएँ

चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश के लोक सेवा प्रबंधन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताया गया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में 48 विभाग की 696 सेवाएँ दी जा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- लोक सेवा प्रबंधन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर किये गए आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। लगभग एक करोड़ 22 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीएम हेल्पलाइन से लाभान्वित किया गया है।
- सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 2 करोड़ शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन से नागरिकों को व्हाट्सअप के माध्यम से दर्ज शिकायतों की स्थिति और योजनाओं की जानकारी देने की सुविधा भी दी जा रही है।
- सीएम जन-सेवा में नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जनोपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएँ दी जा रही हैं। इनमें आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र और चालू खसरा-खतौनी, नक्शा एवं भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपियों का प्रदाय सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त कॉल पर किया जा रहा है।
- राज्य लोक सेवा अभिकरण के कार्यपालक निदेशक अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि पिछले 6 माह में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएँ देने के लिये उल्लेखनीय कार्य किये गए हैं। प्रदेश में 230 लोक सेवा केंद्रों से आधार पंजीयन और 430 केंद्रों से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/696-services-of-48-departments-are-now-under-the-purview-of-the-guarantee-act-for-provision-of-public-services